# आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.519है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्याः 08बी/यू0सी0पी0/06/57/2018/एफ0सी0/157 दिनांक 15.05.2021 से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के क्रम में उपजिलाधिकारी,बागेश्वर की आख्या दिनांक 16 नवम्बर, 2024 से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त 2.519है0 वन भूमि की दुगुनी 5.038है0 भूमि, जो ग्राम बिजोरीझाल,तहसील बागेश्वर के गैर ज0वि0ख0खा0संख्या–157 श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खसरा संख्या–58 रकवा 0.563है0, खसरा संख्या–60 रकवा 0.088है0, खसरा संख्या–542 रकवा 0.259है0, खसरा संख्या–591 रकवा 0.274है0, खसरा संख्या–641 रकवा 0.065है0, खसरा संख्या–671 रकवा 0.663है0, खसरा संख्या–729 रकवा 0.723है0, खसरा संख्या–894 रकवा 0.131है0, खसरा संख्या–901 रकवा 0.105है0, खसरा संख्या–1253 रकवा 0.113है0 खसरा संख्या–1268 रकवा 0.510है0 खसरा संख्या–1269 रकवा 0.143है0, खसरा संख्या–1271 रकवा 0.235है0, खसरा संख्या–1354 रकवा 0.528है0, खसरा संख्या–1397 रकवा 0.379है0, खसरा संख्या–1558 रकवा 0.598है0 कुल रकवा 5.038है0 भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्याः 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 15.05.2021 में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल 5.038है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्याः 70 /छब्बीस–02वन(20–21)/2024–25 दिनांक 25/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित :–

01. प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी,बागेश्वर।
03. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,कपकोट।
04. तहसीलदार,बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण–पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।